फ़िल्म समारोह निदेशालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (फ़ि.स.नि.)

देश में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह आयोजित करने हेतु 1973 में भारत सरकार द्वारा स्थापित, फ़िल्म समारोह निदेशालय भारत को विदेशी समारोहों में भाग लेने में मदद् करती है, फ़िल्मों को भारत में तथा भारतीय फ़िल्मों को विदेशों में दिखाने का कार्यक्रम और राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन करती है । सांस्कृतिक आदान प्रदान के चक्र के रूप में, फ़ि.स.नि. अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता को बढावा देती है । सिनेमा जगत् में नई प्रवृत्तियों के आगमन का प्रबन्ध करती है, स्वस्थ्य प्रतियोगिता उत्पन्न करती है तथा इस प्रक्रिया में भारतीय फ़िल्मों के स्तर को सुधारने में मदद् करती है ।

उद्धेश्य

अच्छे भारतीय फ़िल्मों को देश में तथा विदेश में बढावा देती है ।
विशिष्ट भारतीय फ़िल्मों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का प्रबन्ध करती है ।
समारोहों में उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रीय निदेशकों द्वारा निर्मित फ़िल्मों को प्रदर्शित कर फ़िल्म निर्माताओं के परस्पर मिलने और एक दूसरे को समझने के लिये मंच तैयार करती है ।

गतिविधियां

भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह
राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार

विदेशी समारोहों में भागीदारी
भारत तथा विदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान
अन्य फ़िल्म कार्यक्रम
भारतीय पैनोरमा फ़िल्मों का चयन
विशेष कार्यक्रम
प्रिंट एकत्रीकरण एवं प्रलेखन

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह का आयोजन सर्वप्रथम सन् 1952 में मुम्बई में किया गया । वर्ष 1965 में तृतीय फ़िल्म समारोह के अवसर पर पैरिस स्थित फेडरेशन इंटरनेशनल डेस ऐसोसिएशन्स प्रोड्यूसर डे फ़िल्म्स (एफआईएपीएफ) ने भारतीय फ़िल्मोत्सव को कान, बर्लिन, वेनिस, कार्लोवि, वेरि और मॉस्को, के समानान्तर रखते हुए कार्यालयी मान्यता प्रदान की । 1983 में 9 वें भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में तीसरे विश्व के 22 देशों के भाग लेने से तीसरे सिनेमा जगत् के लिये भारतीय उत्सव एक बड़ा मंच बन गया है । 1989 के 12 वें भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह को एक बार फिर से गैर प्रतियोगी घोषित कर दिया गया था । यह समारोह प्रति वर्ष माह अक्तूबर में भारत के बड़े शहरों में मनाई जाती है ।
भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समूह के करीब 200 ख्यातिप्राप्त निर्मित फिल्में प्रस्तुत् करता है ।

एशियाई प्रतियोगिता

एशियाई निदेशकों द्वारा निर्मित फ़िल्में एक विशिष्ट वर्ग प्रस्तुत् करता है ।

विश्व की फ़िल्में

वर्ष की सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्मों का चयन ।

अनुदर्शी, योगदान, केन्द्र

दूसरे देश या प्रदेश से एक प्रतिनिधि फ़िल्मों का चयन ।

आजीवन उपलब्धी पुरस्कार

सिनेमा की उन्नति में सराहनीय योगदान हेतु विदेशी फ़िल्म व्यक्तित्व को प्रदत्त ।

भारतीय पैनोरमा

वर्ष के सर्वोत्तम भारतीय सिनेमा ।

भारतीय सिनेमा का प्रमुख धारा

भारत से वर्ष की उत्कृष्ट व्यापारिक सफलतायें ।

फ़िल्मों के लिये भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह भारत तथा बड़ी संख्या में विदेशी देशों से एक फ़िल्म बाज़ार को भी चित्रित् करता है, फ़िल्मी व्यक्तित्वों से मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करने की दिशा में पत्रकार एवं प्रतिनिधियों के लिये एक मंच तैयार करती है, सेमिनार, विचार-विमर्श एवं प्रेस सम्मेलन, तथा दिखाई जाने वाली फिल्मों पर विशेष प्रकाशन, समारोह का एकत्रीकरण एवं प्रचार प्रसार हेतु एक मीडिया केन्द्र है ।

भारतीय पैनोरमा

यह वर्ग सामान्यतया विदेशी दर्शकों की रूचि के लिए सभी प्रदेशों एवं विविध भाषी राष्ट्रीय फ़िल्म निर्माताओं से सहयोग आमंत्रित करती है । प्रादेशिक निरूपण के प्रयास के बिना विषयक तथा श्रेष्ठतावाली पर आधारित वर्ष के उत्कृष्ट फ़िल्मों की प्रविष्टियां सिनेमा से जुड़े हुये प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा बनायी गई सूची के आधार पर होती है । समारोह में प्रदर्शित करने से पूर्व फिल्मों को अंग्रेजी उपशीर्षक से संभरण किया जाता है । इस वर्ग से चयनित फिल्मों को विदेशी समारोहों में भी भेजा जाता है ।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

सन 1954 में स्थापित् राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रादेशिक फ़िल्मों को विशेष प्रोत्साहित करती है तथा सौंदर्यगत श्रेष्ठतावाली एवं सामाजिक सम्बद्ध फ़िल्में बनाने के लिए प्रेरित करती है । एक वार्षिक परिणाम, पुरस्कार विभाजित होता है-

* फ़ीचर फ़िल्मों के लिए पुरस्कार
* फ़ीचर फ़िल्मों के लिए पुरस्कार
* सिनेमा पर उत्कृष्ट रचना के लिए पुरस्कार

जिसके अन्तर्गत वर्ष के उत्कृष्ट फ़िल्में सुसाध्य होते हैं, ऐसे कुछ राष्ट्रीय वर्गों को छोड़कर, प्रत्येक भाषा वर्ग में से उत्तम फ़ीचर फ़िल्मों को पुरस्कृत किया जाता है । एक विशेष जूरी पुरस्कार भी होता है । एक राष्ट्रीय पैनल बड़ी संख्या में आवेदन पत्रों में से पुरस्कार विजयी फ़िल्मों को एवं फ़िल्म व्यक्तित्वों को चुनता है । वही पैनल वर्ग को चुनता है जिसके अन्तर्गत एक विशिष्ट फ़िल्म को पुरस्कार दिया जाता है । इनाम में स्मृति चिन्ह एवं नकद् पुरस्कार सम्मिलित हैं । पुरस्कृत फ़िल्मों को लोक जन के लिए दिल्ली में प्रदर्शित किया जाता है ।

दिल्ली में पुरस्कार वितरण समारोह पर भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित करते हैं ।

दादा साहिब फ़ाल्के पुरस्कार

देश के फ़िल्मी क्षेत्र का यह सबसे सम्मानित पुरस्कार है जिसका नाम भारतीय सेनेमा के जन्मदाता पर रखा गया है । यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो व्यक्ति विशेष द्वारा माध्यम को आजीवन महत्वपूर्ण योगदान देने की स्वीकृति में राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के अवसर पर दिया जाता है । प्रारम्भिक भारतीय सिनेमा में बॉम्बे टॉकिज़ जो कि भारतीय फ़िल्मोद्धोग की एक पथप्रदर्शक कम्पनियों में से एक है, के संचालन तथा एक अभिनेत्री के रूप में अपने

अप्रतिम अभिनय के लिये सुश्री देविका रानी, वर्ष 1969 में इस पुरस्कार की सर्वप्रथम प्रापक बनीं।

विदेशी समारोहों में सहभागिता

फिल्म समारोह निदेशालय, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष सामान्यतया 50 समारोहों में फ़िल्में भेजता है । दुनिया भर के देशों के बड़े समारोहों जैसे कि वेनिस, कान, मॉंट्रियाल, कार्लोवी, वेरि तथा मॉस्को में प्रतिवेदन के साथ उप-शीर्षक वाले भारतीय फ़िल्मों के प्रिंटों को भेजा जाता है । जो वर्ष की विशेषता प्राप्त उत्कृष्ट भारतीय फ़िल्मों को चित्रित करता है, ऐसे भारतीय पैनोरमा वर्ग से प्रविष्टियां चुनी जाती हैं । कुछ बड़े समारोहों के लिये सरकार भी भारतीय पैनोरमा से फ़िल्म निदेशक को विदेशी समारोह में यात्रा के लिये भेजती है, बशर्ते उनकी फ़िल्म समारोह के प्रतियोगी वर्ग में प्रविष्टिप्राप्त हों ।

फ़िल्म समारोह निदेशालय ऐसे निजी फ़िल्म निर्माताओं को अपने खर्च पर विदेशी समारोहों में भाग लेने के लिये प्रेरित करती है जिनकी फ़िल्में भारतीय फ़िल्म पैनोरमा में सम्मिलित न किया गया हो । तथापि इस प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिये सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और भारतीय रिज़र्व बैंक से निकासी के लिये फ़िल्म समारोह निदेशालय इन निर्माताओं को एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करती है । प्रिंटों को विदेश भेजने से पहले फ़िल्म समारोह निदेशालय को सूचित करना भी ज़रूरी है ।

सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम

भारतीय सरकार और विदेशी देशों के बीच द्विपक्षी सहमति से उत्पन्न सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिये एक बड़े कार्यक्रम के भाग के रूप में फ़िल्म कार्यक्रमें फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है । जिस देश की फ़िल्में दिखाई जाती हैं, उस देश के प्रतिनिधि इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं । अनुबन्ध के अनुसार सभी स्थानीय खर्चों की ज़िम्मेवारी विदेशी सरकार की होती है । सामान्यतया विदेशों में लगभग छः ऐसे कायाक्रमों का

आयोजन किया जाता है जिसमें उत्कृष्ट भारतीय फ़िल्में दिखाई जाती हैं, जबकि अन्य छः कार्यक्रम भारत में होते हैं जहां विभिन्न देशों की मुख्य फिल्में दर्शाई जाती हैं ।

अन्य फ़िल्मी कार्यक्रम

फ़िल्म समारोह निदेशालय बाहर के ऐसे देशों में भी फ़िल्मी कार्यक्रमें आयोजित करती है जहां कोई सांस्कृतिक आदान प्रदान का अनुबन्ध हस्ताक्षरित् न हुआ हो । भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के बाह्य प्रचार शाखा एवं सम्बन्धित देश का दूतावास फ़ि.स.नि. के साथ मिलकर इन प्रयासों को सफल बनाने में सहयोग देता है ।

विशेष कार्यक्रम

भारत एवं अन्य देशों के बीच समझौते के विज्ञप्ति के भाग के रूप में समय-समय पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । पारस्परिक व्यवस्था के अन्तर्गत अनेक देशों में आयोजित हुये भारतीय समारोह ऐसे गतिविधियों में अधिकतम सफल उदाहरणों में से है । सामान्यतया इन गतिविधियों का विशेष घटक फ़िल्में बनती हैं और सम्बन्धित देश के भाषा में बने उप-शीर्षक वाले फ़िल्मों के संवेष्टन को आयोजित करने के लिये फ़िल्म समारोह निदेशालय उत्तरदायी है । इन फ़िल्मों के संवेष्टनों में 25 से लेकर 100 से ऊपर तक फ़िल्में पाई जाती हैं । उसी तरह फ़िल्म समारोह निदेशालय भारत में भेजे गये समान विदेशी फ़िल्मों को देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शित करने की व्यवस्था करती है । भारतीय उत्सव के रूप में, भारतीय फ़िल्मों को इंगलैंड, फ्रांस, अमरिका, जापान, रशिया और स्विट्ज़रलैंड आदि देशों में प्रदर्शित किया गया, उसी तरह अन्यों में से फांस, रशिया, जापान और स्विट्ज़रलैंड की फ़िल्में भारत के विभिन्न शहरों में फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिखलाने का आयोजन किया गया ।

प्रिंट एकत्रिकरण एवं प्रलेखन

फ़िल्म समारोह निदेशालय के अन्तर्गत एक प्रलेखन इकाई राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सिनेमा के समन्वित आंकड़ें बड़ीमात्रा में एकत्रित् करता है । भारत में किये गये किसी भी समारोह के दौरान स्थानीय पत्रकारों के लिये यह सूचना का मुख्य श्रोत बनता है । प्रत्येक भारतीय फ़िल्म की पृथक जानकारी सुव्यवस्थित रूप से प्रकृतिस्थ किया जाता है तथा सम्मिलित फ़िल्मों की प्रिंटें उप-शीर्षक के साथ विदेशी समारोहों में भेजा जाता है ।

गतिविधियां

* भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह
* राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एवं समारोह

* विदेशी समारोहों में भागीदारी

* भारत तथा विदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान

* अन्य फिल्म कार्यक्रम

* भारतीय पैनोरमा फिल्मों का चयन

* विशेष कार्यक्रम

* प्रिंट एकत्रिकरण एवं प्रलेखन

उद्धेश्य

अच्छे भारतीय फिल्मों को देश में तथा विदेश में बढावा देती है ।

विशिष्ट भारतीय फिल्मों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन का प्रबन्ध करती है ।

समारोहों में उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रीय निदेशकों द्वारा निर्मित फिल्मों को प्रदर्शित करती है ।

फ़िल्म समारोह निदेशालय के विषय में

देश में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने हेतु 1973 में भारत सरकार द्वारा स्थापित, फिल्म समारोह निदेशालय भारत को विदेशी समारोहों में भाग लेने में मदद् करती है, फिल्मों को भारत में तथा भारतीय फिल्मों को विदेशों में दिखाने का कार्यक्रम और राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन करती है ।

सांस्कृतिक आदान प्रदान के चक्र के रूप में, फि.स.नि. अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता को बढावा देती है । सिनेमा जगत् में नई प्रवृत्तियों के आगमन का प्रबन्ध करती है, स्वस्थ्य प्रतियोगिता

उत्पन्न करती है तथा इस प्रक्रिया में भारतीय फिल्मों के स्तर को सुधारने में मदद् करती है ।

प्रवेश प्रपत्र

* 51वें राष्ट्रीय फ़िन्म पुरस्कार
* सिनेमा पर उत्कृष्ट पुस्तक
* भारतीय पैनोरमा-- 2004
* 35वां भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह

परिशिट-I

निदेशक,
फ़िल्म समारोह निदेशालय,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
सिरीफोर्ट सांस्कृतिक परिसर,
अगस्त क्रान्ति मार्ग,
नई दिल्ली- 110049 ।

वियः- सिरी फोर्ट सभागार **I**, **II**, **III** को किराये पर लेना ।

महोदय,

हम सिरी फोर्ट सांस्कृतिक परिसर के सभा भवन _____ को अपने निम्न वर्णित कार्यक्रम के लिये सुरक्षित करना चाहते हैं --

क. पार्टी का नाम व पताः
ख. दिनांक एवं सत्र यथा सुबह/ शाम/ पूरा दिन
ग. कार्यक्रम का प्रकार यथा गैर व्यावसायिक/(बिना टिकट के/ बगैर कार्ड दाता के/ विवरणिका के ज़रिये विज्ञप्तियों के संकलन के बिना)

i क्या कार्यक्रम का कोई प्रवर्त्तक है
ii प्रवेश निमंत्रण पत्र के द्वारा/ टिकट द्वारा
iii किसी माध्यम से को। की प्राप्ति

घ. कार्यक्रम/ समारोह की सही प्रकृति

1. सांस्कृतिक प्रदर्शत (संगीत समारोह/ नृत्य आदि का विवरण दीजिए)
2. चलचित्र प्रदर्शन
3. फ़िल्म का प्रथम प्रदर्शन
4. सम्मेलन/ स्कूल/ कॉलेज समारोह
5. फैशन शो
6. संस्था की आम वार्िक बैठक

ड.	क्या अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है यथा

1. नेपथ्यशाला
2. अति विशिट व्यक्ति के लिये विश्राम कक्ष
3. प्रदर्शनी/ चीजों की प्रदर्शनी के लिये सभागार की लॉबी

च.	यदि समारोह में कोई अति विशिट व्यक्ति पधार रहे हैं तो उनकी पूर्ण जानकारी यथा भारत के मानरीय राट्रपति/ उप राट्रपति या माननीय प्रधान मंत्री ।

छ.	अग्रिम भाड़ा शुल्क के रूप में ________ रू के __________ दिनांक का मांग पत्र/ वेतन आदेश संख्या______________ वेतन एवं लेखा अधिकारी (मु.स.),सूचना और प्रसारण मंत्रालय,नई दिल्ली को भेजा जारहा है/संलग्नहै ।

हमें सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार्य हैं तथा हम शमथ लेते हैं कि (यदि सभागार का कोई किराया संशोधित हुआ हो तो उसके साथ) सभागार परिाद का पूरा खर्चा उठायेंगे एवं सभागार की शालीनता बनाए रखेंगे । शेा किराया शुल्क , सूरक्षा शुल्क का 20 % जो सभागार-I के लिये कम से कम रू 15,000/- सभागार-II तथा III के लिये रू 4000/- हैं तथा 10.2 % सेवा कर आरक्षित पत्र मिलने के 30 दिनों के अंदर या कार्यक्रम/ प्रदर्शन के 15 दिन पहले (जो भी पहले हो जमा करा देया जायेगा) ।

भवदीय,

परिशिष्ट-II

सभागार-I का किराया शुल्क
बैठने की क्षमता- 1867

क्रम सं.	विवरण	कार्यदिवस	अवकाश के दिन
1.	गैर व्यावसायिक सांस्कृतिक प्रदर्शन सुबह का सत्र शाम का सत्र	 35,000 35,000	 45,000 45,000
	व्यावसायिंक सांस्कृतिक प्रदर्शन सुबह का सत्र शाम का सत्र	 50,000 50,000	 60,000 60,000
2.	फ़िल्म प्रदर्शन (फ़िल्म का प्रथम प्रदर्शन) सुबह का सत्र शाम का सत्र	 1,00,000 1,25,000	 1,25,000 1,50,000
3.	फ़िल्म प्रदर्शन (साधारण) सुबह का सत्र शाम का सत्र	 35,000 50,000	 45,000 60,000
4.	फैशन शो (प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक)	1,50,000	1,75,000
5.	स्कूल-कॉलेज समारोह-सम्मेलन (प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक)	1,00,000	1,25,000
6.	संस्था की आम वार्षिक बैठक सुबह का सत्र शाम का सत्र	 50,000 60,000	 50,000 60,000
सभागार को किराये पर लेनेवाली पार्टी अपने आवश्यकतानुसार साथ में बर्शाये गये किरायों का भुगतान करके निम्नलिखित जगहों को किराये पर ले सकते हैं --			
	एक नेपथ्यशाला (प्रति पालि)	2000	2000

	अति विशिट व्यक्ति के लिये विश्रामकक्ष (प्रति पालि)	10,000	10,000
	प्रदर्शनी/ चीजों की प्रदर्शनी के लिये सभागार की लॉबी (प्रति पालि)	5,000	5,000
8.	अतिरिक्त भाड़ा (प्रति घंटा)	10,000	15,000
आरक्षित किराया प्रति पालि के हिसाब से रू 20,000			
सुरक्षा शुल्क, किराया शुल्क का 20% जो न्यूनतम रू 15,000/- होगा । सेवा कर कूल किराया शुल्क का 10.2% होगा ।			
लेखा और वेतन अधिकारी (मु.स.) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में केवल ड्राफ्ट/ अदायगी-आदेश पत्र द्धारा भुगतान किया जा सकता है ।			
सुबह का सत्र प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक तथा शाम का सत्र शाम के 4.00 बजे से रात्रि के 10.00 बजे तक होगा ।			

परिशिट-- III

सभागार -II और III का किराया शुल्क

सभागार- I में बैठने की क्षमता- 397

सभागार- III में बैठने की क्षमता- 270

क्रम संख्या	विवरण	कार्यदिवस	अवकाश के दिन
1.	गैर व्यावसायिक सांस्कृतिक प्रदर्शन सुबह का सत्र शाम का सत्र	 8,000 8,000	 10,000 10,000
	व्यावसायिक सांस्कृतिक प्रदर्शन सुबह का सत्र शाम का सत्र	 10,000 10,000	 12,000 12,000
2.	फ़िल्म प्रदर्शन (फ़िल्म का प्रथम प्रदर्शन) सुबह का सत्र शाम का सत्र	 10,000 10,000	 15,000 15,000
3.	फ़िल्म प्रदर्शन (साधारण) सुबह का सत्र शाम का सत्र	 8,000 10,000	 10,000 12,000
4.	स्कूल- कॉलेज समारोह/ सम्मेलन सुबह का सत्र शाम का सत्र	 10,000 10,000	 10,000 10,000
5. 6.	संस्था की सामान्य वार्िक बैठक सुबह का सत्र शाम का सत्र अतिरिक्त भाड़ा (प्रति घंटा)	 10,000 10,000 4000	 10,000 10,000 4000
यदि सभागार-III पर विडीयो प्रोजेक्टर की आवश्यकता हो तो प्रति शो के लिये रू 5000/- अतिरिक्त किराया देय होगा ।			
आरक्षित शुल्क प्रति पाली रू 5,000/-			
सुरक्ष शुल्क, किराया शुल्क का 20% जो न्यूनतम रू 4000/- होगा । सेवा कर कूल किराया शुल्क का 10.2% होगा ।			
लेखा और वेतन अधिकारी (मुख्य सचिवालय), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में केवल ड्राफ्ट/ अदायगी-आदेश पत्र द्वारा भुगनान किया जा सकता है ।			
सुबह का सत्र प्रातः 9.00 बजे से बोपहर 3.00 बजे तक तथा शाम का सत्र शाम के 4.00 बजे से रात्रि के 10.00 बजे तक होगा ।			

परिशट- IV

रद्दीकरण दर

रद्दीकरण शुल्क की सूची निम्न प्रकार से हैः-
जहां पर रद्दीकरण सम्बन्धी नोटिस सम्पदा प्रबन्धक द्वारा प्राप्त हो-

कार्यक्रम से 90 दिन पूर्व	सम्पूर्ण किराये शुल्क का 5 %
कार्यक्रम से 60 दिन पूर्व	सम्पूर्ण किराये शुल्क का 10 %
कार्यक्रम से 30 दिन पूर्व	सम्पूर्ण किराये शुल्क का 25 %
कार्यक्रम से 15 दिन पूर्व	सम्पूर्ण किराये शुल्क का 40 %
कार्यक्रम से 07 दि पूर्व	सम्पूर्ण किराये शुल्क का 75 %
कार्यक्रम से पूर्व 07 दिनो से कम	सम्पूर्ण किराया शुल्क ज़ब्त कर लिया जायेगा।

स्थगन दरें

स्थगन के लिये निम्नलिखित दरों को लागू किया जायेगाः-
जहां पर स्थगत सम्बन्धी नोटिस सम्पदा प्रबन्धक द्वारा प्राप्त हो

कार्यक्रम से 90 दिन पूर्व	सम्पूर्ण किराये शुल्क का 1 %
कार्यक्रम से 60 दिन पूर्व	सम्पूर्ण किराये शुल्क का 5 %
कार्यक्रम से 30 दिन पूर्व	सम्पूर्ण किराये शुल्क का 10 %
कार्यक्रम से 15 दिन पूर्व	सम्पूर्ण किराये शुल्क का 25 %
कार्यक्रम से 07 दिन पूर्व	सम्पूर्ण किराये शुल्क का 50 %
कार्यक्रम से पूर्व 07 दिनों से कम	सम्पूर्ण किराये शुल्क का 75 %

नोटः- 1. प्रबन्धक के सुविधानुसार तिथि पर स्थगन अनुज्ञेय होगा बशर्ते सम्पूर्ण अग्रिम भुगतान कर दिया गया हो ।
2. दूसरा स्थगन सम्भव नहीं होगा ।